



महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHIKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

Contact No. 0581-2520487, 2527282, 2523378, Website: www.mjpru.ac.in

पत्रांक : रू.वि./प्र.प.प्र./2024/784

दिनांक : 01.07.2024

सेवा में,

समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष
विश्वविद्यालय परिसर, बरेली

प्राचार्य/प्राचार्या,
समस्त सम्बन्धित सम्बद्ध महाविद्यालय,
एम.जे.पी. रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

विषय : (सत्र 2024-25) के लिये स्नातक पाठ्यक्रमों में ऑनलाईन पंजीकरण के माध्यम से होने वाले प्रवेश हेतु नियम व दिशा निर्देश।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक विश्वविद्यालय परिसर एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर ऑनलाईन प्रवेश के सम्बन्ध में आप सभी को सूचित करना है कि छात्रहित एवं महाविद्यालयों के अनुरोध पर सम्यक् विचारोपरान्त प्रवेश प्रक्रिया का सरलीकरण करते हुये यह निर्णय लिया गया है कि सत्र 2024-25 में ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया के माध्यम से होने वाले समस्त प्रवेश विश्वविद्यालय की प्रवेश नियमावली एवं पाठ्यक्रमों के लिये स्थापित अध्यादेशों में वर्णित नियमों एवं दिशा-निर्देशों का पालन करते हुये महाविद्यालय स्तर पर स्वयं सम्पन्न कराये जायेंगे।

प्रवेश प्रक्रिया निम्नवत् होगी-

1. प्रवेश प्रक्रिया पूर्णतया पारदर्शी, शुचितापूर्ण तथा उत्तर प्रदेश सरकार एवं विश्वविद्यालय के नियमों/परिनियमों का पालन करते हुये एवं आरक्षण सम्बन्धी दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करते हुये सम्पादित करेंगे।
2. यह प्रवेश प्रक्रिया सत्र 2024-25 के लिये सभी स्नातक पाठ्यक्रमों (प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होने वाले प्रवेशों को छोड़कर) के लिये है।
3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार द्वारा चिन्हित 18 कार्यान्वयन बिन्दुओं में से बिन्दु संख्या L-4 Adoption of Guidelines on Curricular & Credit Framework for four Year undergraduate Programme के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा जारी पत्र संख्या रू.वि./शैक्षणिक/2024/26 दिनांक 03.04.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रवेश सुनिश्चित होंगे।
4. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अन्तर्गत छात्र को उसकी अर्हता के दृष्टिगत किसी भी दो पाठ्यक्रमों को एक साथ करने की अनुमति प्रदान की जायेगी, जिसमें एक पाठ्यक्रम संस्थागत छात्र के रूप में तथा दूसरा पाठ्यक्रम व्यक्तिगत/ऑनलाईन मोड अथवा दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से कर सकेंगे।
5. छात्र/छात्रायें एक अथवा एक से अधिक महाविद्यालयों, जिनमें कि वे प्रवेश के इच्छुक हों, में अपनी अर्हतानुसार महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये पंजीकरण आवेदन पत्र को पूर्णरूपेण भरकर अपनी अंकतालिकाओं, सर्टिफिकेट इत्यादि की छायाप्रति, 5 नवीन फोटोग्राफ एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित रजिस्ट्रेशन शुल्क रू0 150/- के साथ अंतिम तिथि तक अधिकतम 10 महाविद्यालयों में आवेदन कर सकते हैं।

6. सत्र 2024-25 में स्नातक पाठ्यक्रमों में आनलाईन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से होने वाले प्रवेश महाविद्यालयों द्वारा स्वयं किये जायेंगे। किसी भी महाविद्यालय में किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि उसके द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार/विश्वविद्यालय के नियमों में निहित प्राविधानों का उल्लंघन किया गया है या पालन नहीं किया गया है तो उनके द्वारा प्रवेशित छात्र/छात्राओं को विश्वविद्यालय द्वारा मान्य नहीं किया जायेगा तथा उनका प्रवेश पंजीकरण अनुमन्य नहीं होगा।
7. विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु समस्त महाविद्यालय सूचना/विज्ञप्ति प्रकाशित कर ऑनलाईन अथवा ऑफलाईन माध्यम से छात्र/छात्राओं को प्रवेश आवेदन पत्र उपलब्ध करायेंगे।
8. प्रवेश आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि के उपरान्त समस्त महाविद्यालय प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिये प्राप्त आवेदन पत्रों की जांचकर सही पाये गये आवेदन पत्रों के आधार पर मेरिट सूची (योग्यता क्रम सूची) तैयार कर प्रदर्शित करेंगे।
9. छात्र/छात्रायें केवल एक ही महाविद्यालय में एक ही पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकते हैं। समस्त छात्र/छात्रायें अपनी इच्छा एवं अर्हतानुसार, पाठ्यक्रम एवं महाविद्यालय का चयन सीटों की उपलब्धता के आधार पर कर सकते हैं/करने के लिये स्वतंत्र हैं। स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम में प्रवेश लेते समय प्रत्येक अभ्यर्थी को शैक्षिक एवं अन्य यथा आवश्यक प्रमाण पत्रों की छायाप्रति एवं मूल स्थानान्तरण प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।
10. मेरिट सूची (योग्यता क्रम सूची) प्रदर्शित करने के उपरान्त प्रत्येक महाविद्यालय को, प्रवेश हेतु इच्छुक समस्त छात्र/छात्राओं के प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत सुनिश्चित कर प्रत्येक प्रवेशित अभ्यर्थी का कालेज लॉगिन आईडी के माध्यम से विश्वविद्यालय पोर्टल पर ऑनलाईन प्रवेश सुनिश्चित करना होगा।
11. समस्त महाविद्यालय स्नातक स्तर के किसी भी अभ्यर्थी का प्रवेश सुनिश्चित करने से पहले यह भलीभांति देख लें कि अभ्यर्थी ने अपने समस्त शैक्षिक प्रपत्र तथा अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र एवं मूल स्थानान्तरण प्रमाण पत्र जमा कर दिया है।
12. उत्तर प्रदेश शासन द्वारा समय समय पर लिये गये निर्णयानुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्राविधान/नियम प्रभावी हैं।

प्रवेश प्रक्रिया की तिथियाँ निम्नवत् होंगी:-

क्र.	विवरण	दिनांक
1.	विश्वविद्यालय पोर्टल पर शुल्क रु. 150/- प्रति छात्र की दर से जमा कर छात्रों को ऑनलाईन प्रवेश हेतु आवेदन प्रारम्भ होने की तिथि	10.05.2024
2.	विश्वविद्यालय पोर्टल पर शुल्क रु. 150/- प्रति छात्र की दर से जमा कर छात्रों को ऑनलाईन प्रवेश हेतु आवेदन करने की अन्तिम तिथि	10.07.2024
3.	महाविद्यालय में ऑनलाईन मेरिट तैयार कर प्रदर्शित कर मेरिट के अनुसार उ.प्र. शासन/विश्वविद्यालय एवं अन्य नियामक संस्थाओं के नियमों तथा आरक्षण हेतु निर्धारित नियमों के अधीन प्रवेश सुनिश्चित करने की अन्तिम तिथि	11.07.2024 से 25.07.2024 तक

नोट :

3. उक्त तिथियाँ केवल स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रमों, जिनकी योग्यता/अर्हता इण्टरमीडिएट है, के लिये हैं।
4. परास्नातक हेतु अधिसूचना पृथक से निर्गत की जायेगी।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समन्वयक, ऑनलाईन प्रवेश।
2. वित्त अधिकारी।
3. परीक्षा नियंत्रक।
4. उप-कुलसचिव (प्रवेश)
5. सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता) को इस आशय से प्रेषित कि प्रवेश प्रकोष्ठ को अद्यतन सम्बद्ध महाविद्यालय, उनमें संचालित पाठ्यक्रम एवं स्वीकृत सीट संख्या की सूची उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
6. निजी सचिव-कुलपति, मा. कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।
7. वै.सहा., कुलसचिव।
8. प्रभारी, विश्वविद्यालय वेबसाईट।

कुलसचिव



महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

A State University – Govt. of Uttar Pradesh; NAAC A++ Accredited; ISO 9001:2015 & 140001: 2015 Certified

पत्रांक : रू.वि./शैक्षणिक/2024/26

दिनांक : 03.04.2024

सेवा में,

समस्त संयोजक

विषय पाठ्यक्रम समिति

महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली।

विषय :- राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार द्वारा चिह्नित 18 कार्यान्वयन बिन्दुओं में से बिन्दु संख्या L-4 Adoption of Guidelines on Curricular & Credit Framework for Four Year Undergraduate Programme के सम्बन्ध में।

महोदय,

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को प्रभावी करते हुये विषय पाठ्यक्रम समिति के माध्यम से पाठ्यक्रमों में संशोधन करते हुए स्नातक स्तर पर 2021-22 एवं स्नातकोत्तर स्तर पर सत्र 2022-23 से Choice Base Credit System लागू करने हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के विभिन्न शासनादेशों के अनुरूप विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रभावी क्रियान्वयन किया गया था।

UGC के Credit Framework के अनुपालन में उच्च शिक्षा अनुभाग-3 के शासनादेश सं0 2418/सत्तर-3-2023-09(01)/2022(L4) दिनांक 13 सितम्बर 2023 द्वारा निर्गत Credit Framework for Four Year Undergraduate Programme के अनुरूप पाठ्यक्रमों में संशोधन कराया जाना है, साथ ही यूनिकार्ड क्रेडिट के अन्तर्गत जिन-जिन पाठ्यक्रमों के परास्नातक स्तर पर दिये गये क्रेडिट स्ट्रक्चर से विचलन है, को यथा संशोधित करते हुये परास्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों को भी शासनादेश में दिये गये कोर्स स्ट्रक्चर के अनुरूप तैयार किया जाना है, जिससे यूनिकार्ड क्रेडिट फ्रेमवर्क का समस्त पाठ्यक्रमों में एक साथ अनुपालन सुनिश्चित कराया जा सकें।

उपरोक्त पर मा0 कुलपति महोदय के अनुमोदन दिनांक 06.03.2024 के अनुपालन में आपसे अपेक्षित है कि उपरोक्त शासनादेश में दी गई व्यवस्था के अनुरूप पाठ्यक्रमों में संशोधन की प्रक्रिया दिनांक 15 मई 2024 तक पूर्ण कर ले जिससे संशोधित पाठ्यक्रमों को विद्या परिषद/कार्य परिषद से अनुमोदन प्राप्त कर सत्र 2024-25 से प्रभावी कराया जा सकें।

शासनादेश के अनुरूप आवश्यक दिशा-निर्देश/Suggestive Guidelines संलग्न है।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

ABJ
03/04/24
कुलसचिव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं उपरोक्त के अनुपालनार्थ प्रेषित:-

1. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष।
2. प्राचार्य/प्रबन्धक समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थान।
3. वित्त अधिकारी।
4. परीक्षा नियन्त्रक।
5. उप कुलसचिव परीक्षा एवं गोपनीय।
6. उप कुलसचिव प्रशासन एवं संबद्धता।
7. प्रभारी विश्वविद्यालय वेबसाईट।
8. निजी सचिव कुलपति।

कुलसचिव

MAHATMA JYOTIBA PHULE
ROHILKHAND UNIVERSITY
BAREILLY



Adoption of Guidelines on
Curricular & Credit Framework for
Four Year Undergraduate Programme
(FYUP)

सारांशित अंश

1. विद्यार्थी को प्रवेश के समय एक संकाय (कला, विज्ञान, वाणिज्य आदि) का चुनाव करना होगा और उसे उस संकाय के दो मुख्य (मेजर) विषयों का चुनाव करना होगा। यह संकाय विद्यार्थी का अपना संकाय (Own Faculty) कहलायेगा जिसका अध्ययन वह तीन वर्ष (प्रथम से छठे सेमेस्टर) तक कर सकता है।
2. छात्रों को बहुविषयकता उपलब्ध कराने के लिये संकायों में विषयों के वर्गीकरण एवं विषय कोडिंग की व्यवस्था शासनादेश संख्या 1267/सत्तर-3-2021-16 (26)/2011 दिनांक 15-06-2021 के अनुसार होगी।
3. कला एवं विज्ञान संकायों में विभाजन को बहुविषयकता के लिए अलग संकाय माना जायेगा किन्तु उन्हें डिग्री क्रमशः कला संकाय (B.A) एवं विज्ञान संकाय (B-Sc) की ही मिलेगी। इसी प्रकार ग्रामीण विज्ञान जो कि कला संकाय से विभाजित हुआ है, में भी कला संकाय (B.A.) की डिग्री मिलेगी।
4. छात्र को विश्वविद्यालय / महाविद्यालयों में विषयों की उपलब्धता के आधार पर नियमानुसार विषय परिवर्तन की सुविधा होगी, परन्तु वह एक वर्ष के बाद ही विषय परिवर्तित कर सकता है, एक सेमेस्टर के बाद नहीं।
5. संकायों में विषयों के वर्गीकरण की यह व्यवस्था मात्र विषय कोडिंग एवं छात्रों को बहुविषयकता उपलब्ध कराने हेतु है। विभिन्न विश्वविद्यालय में जो संकाय एवं प्रशासनिक व्यवस्था चल रही है वह यथावत् रहेगी।
6. चतुर्वर्षीय स्नातक (मानद) एवं स्नातक (मानद शोध सहित) के लिए चतुर्थ वर्ष में विद्यार्थी उपरोक्त दो मेजर विषयों में से किसी एक विषय का चयन करेगा तथा पंचम व षष्ठम् वर्ष में भी उसी विषय को पढ़ेगा।
7. त्रिवर्षीय स्नातक के अध्ययन के बाद चतुर्वर्षीय डिग्री के लिए भी, छात्र को उस विषय में परास्नातक में नया प्रवेश लेना होगा जो कि विश्वविद्यालय में प्रचलित प्रवेश प्रक्रिया के अनुरूप परास्नातक की उपलब्ध सीटों पर किया जायेगा।
8. तीसरे गौण (माइनर) विषय का चुनाव विद्यार्थी अपने संकाय अथवा बहुविषयकता के लिए किसी भी अन्य संकाय से विश्वविद्यालय / महाविद्यालय में उपलब्धता के आधार पर कर सकता है।
9. विद्यार्थी द्वितीय / तृतीय वर्ष में मुख्य विषय बदल सकता है अथवा उनके क्रम में परिवर्तन कर सकता है।

10. छात्र को विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में विषयों की उपलब्धता के आधार पर नियमानुसार विषय परिवर्तन की सुविधा होगी, परन्तु वह एक वर्ष के बाद ही विषय परिवर्तित कर सकता है, एक सेमेस्टर के बाद नहीं।
11. स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम दो वर्षों (चार सेमेस्टरर्स) के प्रत्येक सेमेस्टर में दो क्रेडिट का एक सह-पाठ्यक्रम/कोर्स करना अनिवार्य होगा अर्थात् कुल 8 क्रेडिट (4 कोर्स से) अर्जित करने होंगे।
12. तृतीय सेमेस्टर में एक भारतीय अथवा स्थानीय भाषा का सह-पाठ्यक्रम कोर्स अनिवार्य रूप से चलाया जायेगा। अतः अनिवार्य सह-पाठ्यक्रम कोर्सेस में से एक भारतीय / स्थानीय भाषा का कोर्स करना अनिवार्य होगा।
- 13- स्नातक स्तर पर द्वितीय वर्ष के बाद ग्रीष्मावकाश में विद्यार्थी अपने चुने गए दो मुख्य विषयों में से किसी एक विषय से संबंधित तीन क्रेडिट की एक शोध परियोजना करेगा। ग्रीष्मावकाश में पूर्ण न होने की स्थिति में यह शोध परियोजना तृतीय वर्ष के पंचम सेमेस्टर में भी की जा सकती है किंतु द्वितीय वर्ष उक्त शोध परियोजना को उत्तीर्ण करने पर ही पूर्ण माना जाएगा।
- 14- यूनिफार्म क्रेडिट के अन्तर्गत जिन जिन पाठ्यक्रमों के परास्नातक स्तर पर दिये गये क्रेडिट स्ट्रक्चर से विचलन है को यथा संशोधित करते हुये परास्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों को भी शासनादेश में दिये गये कोर्स स्ट्रक्चर के अनुरूप यथा संशोधित किया जाना है जिससे यूनिफार्म क्रेडिट फ्रेमवर्क का समस्त पाठ्यक्रमों में एक साथ अनुपालन सुनिश्चित कराया जा सकें।
- 15- स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम बी.ए./बी.एससी./बी.काम. आदि के प्रथम छः सेमेस्टर तथा चतुर्वर्षीय बहुविषयक स्नातक (मानद व मानद शोध सहित) यथा बी०ए०, बी०एससी० एवं बी०काम० के प्रथम छः सेमेस्टर का पाठ्यक्रम एक समान रहेगा।

स्नातक/ परास्नातक कार्यक्रमों/ पाठ्यक्रमों की संरचना के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश/Suggestive Guidelines

1- संदर्भ (Introduction)–

यू०जी०सी० के द्वारा जारी किये गये Curriculum – Credit Framework for Four Year Undergraduate Programme (FYUP) में 20 Credit प्रति सेमेस्टर का प्रावधान है जबकि उत्तर प्रदेश में शासनादेश संख्या 1507 / सतर-3/2021/16 (20) / 2011 टी. सी. दिनांक 13 जुलाई, 2021 के द्वारा लागू NEP-2020 की संरचना में Credits अधिक है। शिक्षकों एवं छात्रों की ओर से भी पिछले दो वर्षों में यह अनुभव किया जा रहा है कि छात्रों पर Credits का भार ज्यादा है और उसे कुछ कम किया जा सकता है। अतः वर्तमान UG-PG संरचना में कतिपय संशोधन तालिकाएं अंतिम पृष्ठ पर दी गई है तथा उसका विस्तृत विवरण निम्नवत है।

2- क्षेत्र (Scope)–

2-1(अ) यह व्यवस्था कला, विज्ञान, वाणिज्य आदि संकायों में त्रिवर्षीय बहुविषयक स्नातक तथा चतुर्वर्षीय बहुविषयक स्नातक (मानद व मानद शोध सहित) यथा बी०ए०, बी०एससी० एवं बी०काम० तथा एकल विषय परास्नातक यथा एम०ए०, एम०एससी० एम० काम० कार्यक्रमों में लागू होगी।

2-1 (4) त्रिवर्षीय एकल विषय स्नातक, स्नातक (मानद), यथा बी०एससी० (माइक्रोबायोलॉजी) इत्यादि तथा एकल विषयक/संकाय स्नातक यथा बी०सी०ए०, बी०बी०ए० आदि कार्यक्रमों में भी लागू होगी।

2-2 त्रिवर्षीय स्नातक स्तर पर विभिन्न विषयों के न्यूनतम समान पाठ्यक्रम (Min. Common Syllabus)) पूर्व में ही उपलब्ध करा दिये गये हैं। वह आगे भी लागू होंगे।

2-3 (अ) बहुविषयक त्रिवर्षीय स्नातक, चतुर्वर्षीय स्नातक (मानद) एवं स्नातक (मानद शोध सहित) परास्नातक एवं प्री पीएच.डी. कोर्स वर्क इत्यादि में विषयों तथा क्रेडिट्स की विस्तृत जानकारी तालिका में दी गई है।

(ब) त्रिवर्षीय एकल विषय स्नातक, स्नातक (मानद), यथा बी०एससी० (माइक्रोबायोलॉजी) इत्यादि तथा एकल विषयक / संकाय स्नातक यथा बी०सी०ए०, बी०बी०ए० आदि के लिए व्यवस्था तालिका 2 में दी गई है।

2-4 यह व्यवस्थायें सत्र 2024-25 से लागू होंगी।

2-5 अन्य संकायो अथवा कार्यक्रमों क्या चिकित्सा, तकनीकी शिक्षक शिक्षा, कृषि आदि में नियामक संस्थाओं के नियम लागू होते हैं, उन के लिए व्यवस्था का निर्धारण नियामक संस्थाओं यथा एम०सी०आई०, ए०आई०सी०टी०ई०, एन०सी०टी०ई० आदि के एन०ई०पी०-2020 के अनुरूपनाए पाठ्यक्रम व संरचना आने पर किया जायेगा।

2- परिभाषा—

3-1 पाठ्यक्रम / कार्यक्रम (Programme)—

एक वर्ष का सर्टिफिकेट, दो वर्ष का डिप्लोमा, तीन वर्ष की स्नातक, स्नातक (मानद) डिग्री, चार वर्ष की स्नातक (मानद) एवं स्नातक (मानद शोध सहित) डिग्री, पाँच वर्ष की स्नातकोत्तर डिग्री तथा शोध उपाधि यथा बी०ए०, बी०एससी०, बी०कॉम, बी०बी०ए०, बी०एल०ई० एम०ए० एम०एससी०, एम०कॉम०, पीएच०डी० इत्यादि।

3-2 संकाय (Faculty)—

3-2-1 इत्यादि। संकाय विषयों का समूह है यथा कला संकाय, विज्ञान संकाय, वाणिज्य संकाय।

3-2-2 छात्रों को बहुविषयकता उपलब्ध कराने के लिये संकायों में विषयों के वर्गीकरण एवं विषय कोडिंग की व्यवस्था शासनादेश संख्या 1267/सत्तर-3-2021-16 (26)/2011 दिनांक 15-06-2021 के अनुसार होगी।

3-2-3 कला एवं विज्ञान संकायों में विभाजन को बहुविषयकता के लिए अलग संकाय माना जायेगा किन्तु उन्हें डिग्री क्रमशः कला संकाय (B.A) एवं विज्ञान संकाय (B-Sc) की ही मिलेगी। इसी प्रकार ग्रामीण विज्ञान जो कि कला संकाय से विभाजित हुआ है, में भी कला संकाय (B.A.) की डिग्री मिलेगी।

3-2-4 संकायों में विषयों के वर्गीकरण की यह व्यवस्था मात्र विषय कोडिंग एवं छात्रों को बहुविषयकता उपलब्ध कराने हेतु है। विभिन्न विश्वविद्यालय में जो संकाय एवं प्रशासनिक व्यवस्था चल रही है वह यथावत् रहेगी।

33 विषय (Subject) — यथा

33-1 संस्कृत, हिन्दी, जन्तु विज्ञान, इतिहास आदि।

3-3-2 एक विषय एक ही संकाय में सूचीबद्ध होगा।

3-4 कोर्स / पेपर / प्रश्नपत्र (Course / Paper)–

3-4-1 एक विषय के विभिन्न थ्योरी/प्रेक्टिकल के पेपर को कोर्स / पेपर / प्रश्नपत्र कहा जायेगा।

3-4-2 थ्योरी, प्रैक्टिकल और शोध परियोजना के पेपर्स/प्रश्नपत्रों का कोड अलग-अलग होगा।

4- मुख्य (मेजर) विषय तथा माइनर विषय के इलेक्टिव पेपर

4-1 (अ) विद्यार्थी को प्रवेश के समय एक संकाय (कला, विज्ञान, वाणिज्य आदि) का चुनाव करना होगा और उसे उस संकाय के दो मुख्य (मेजर) विषयों का चुनाव करना होगा। यह संकाय विद्यार्थी का अपना संकाय (Own Faculty) कहलायेगा जिसका अध्ययन वह तीन वर्ष (प्रथम से छठे सेमेस्टर) तक कर सकता है।

(ब) चतुर्वर्षीय स्नातक (मानद) एवं स्नातक (मानद शोध सहित) के लिए चतुर्थ वर्ष में विद्यार्थी उपरोक्त दो मेजर विषयों में से किसी एक विषय का चयन करेगा तथा पंचम व षष्ठम् वर्ष में भी उसी विषय को पढ़ेगा।

(स) तीन वर्षीय स्नातक के बाद विद्यार्थी किसी नये विषय में परास्नातक में प्रवेश ले सकता है। (जिसमें Pre-requistic के हिसाब से वह अर्ह है), परन्तु एक वर्ष की परास्नातक की पढ़ाई के बाद उसे कोई डिग्री अथवा डिप्लोमा नहीं मिलेगा। दो वर्ष पूरे उत्तीर्ण करने पर ही उसे उस विषय में परास्नातक की डिग्री मिलेगी।

(द) त्रिवर्षीय स्नातक के अध्ययन के बाद चतुर्वर्षीय डिग्री के लिए भी, छात्र को उस विषय में परास्नातक में नया प्रवेश लेना होगा जो कि विश्वविद्यालय में प्रचलित प्रवेश प्रक्रिया के अनुरूप परास्नातक की उपलब्ध सीटों पर किया जायेगा।

4-2 तीसरे गौण (माइनर) विषय का चुनाव विद्यार्थी अपने संकाय अथवा बहुविषयकता के लिए किसी भी अन्य संकाय से विश्वविद्यालय / महाविद्यालय में उपलब्धता के आधार पर कर सकता है।

4-3 विद्यार्थी द्वितीय/तृतीय वर्ष में मुख्य विषय बदल सकता है अथवा उनके क्रम में परिवर्तन कर सकता है।

4-4 छात्र को विश्वविद्यालय / महाविद्यालयों में विषयों की उपलब्धता के आधार पर नियमानुसार विषय परिवर्तन की सुविधा होगी, परन्तु वह एक वर्ष के बाद ही विषय परिवर्तित कर सकता है, एक सेमेस्टर के बाद नहीं।

4-5 तीसरे गौण (माइनर) विषय का कोर्स किसी भी विषय का पेपर (4/5/6 क्रेडिट) होगा न कि पूर्ण विषय इस कोर्स के चुनाव में Pre-requisite ध्यान रखा जाना चाहिये। विश्वविद्यालय द्वारा अपने स्तर यह निर्धारित किया जा सकता है कि कौन सा कोर्स माइनर के रूप में दिया जा सकता है।

सभी विषय उपलब्ध संसाधनों के आधार पर अन्य संकाय / विषय के छात्रों के लिये माइनर इलेक्टिव पेपर (4/6 क्रेडिट का) तैयार कर सकते हैं। ऐसे माइनर इलेक्टिव फोर्स / पेपर का पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय की बोर्ड आफ स्टडीज, विद्या परिषद इत्यादि में नियमानुसार अनुमोदित कराया जायेगा। इस प्रकार के इलेक्टिव पेपर की कक्षाएँ विश्वविद्यालय / महाविद्यालयों में अलग से होगी एवं परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार आयोजित होंगी।

5. कौशल विकास कोर्स (Vocational / Skill development Courses)

5.1 स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम दो वर्षों (प्रथम तीन सेमेस्टरर्स) में प्रत्येक सेमेस्टर में 3 क्रेडिट का एक कौशल विकास कोर्स (3X3=9 क्रेडिट के कुल तीन पाठ्यक्रम) करना अनिवार्य होगा।

5.2 कौशल विकास कोर्स उत्तर प्रदेश शासनादेश संख्या 1909 / सत्तर-3-2021 दिनांक 18 अगस्त 2021 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार चलाए जाएं।

5.3 यदि विद्यार्थी यू०जी०सी० अथवा केन्द्र अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्था से कोई ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन कौशल विकास कोर्स तीन या उससे अधिक क्रेडिट का करता है, तो उसे उतने ही क्रेडिट प्रदान कर दिए जायेंगे। स्नातक के लिए उसे कुल 9 क्रेडिट अर्जित करने हैं जो वह कम अथवा नियमित अधिकतम समय में पूरे कर सकता है।

6. सह-पाठ्यक्रम / कोर्स (Co-Curricular Courses)

6. स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम दो वर्षों (चार सेमेस्टरर्स) के प्रत्येक सेमेस्टर में दो क्रेडिट का एक सह-पाठ्यक्रम / कोर्स करना अनिवार्य होगा अर्थात् कुल 8 क्रेडिट (4 कोर्स से) अर्जित करने होंगे।

6.2 इन सह-पाठ्यक्रम कोर्सों की परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रश्नपत्र द्वारा करायी जायेगी। इनमें उत्तीर्ण प्रतिशत यही होगा जो मुख्य व माइनर विषय के पेपरर्स में होगा तथा इनमें प्राप्त ग्रेड्स को सी०जी०पी०ए० की गणना में सम्मिलित किया जायेगा।

6.3 तृतीय सेमेस्टर में एक भारतीय अथवा स्थानीय भाषा का सह-पाठ्यक्रम कोर्स अनिवार्य रूप से चलाया जायेगा। अतः अनिवार्य सह-पाठ्यक्रम कोर्सों में से एक भारतीय / स्थानीय भाषा का कोर्स करना अनिवार्य होगा।

7. शोध परियोजना (Research Project)

7.1 स्नातक स्तर पर द्वितीय वर्ष के बाद ग्रीष्मावकाश में विद्यार्थी अपने चुने गए दो मुख्य विषयों में से किसी एक विषय से संबंधित तीन क्रेडिट की एक शोध परियोजना करेगा। ग्रीष्मावकाश में पूर्ण न होने की स्थिति में यह शोध परियोजना तृतीय वर्ष के पंचम सेमेस्टर में भी की जा सकती है किन्तु द्वितीय वर्ष उक्त शोध परियोजना को उत्तीर्ण करने पर ही पूर्ण माना जाएगा।

7.2 स्नातक चतुर्थ वर्ष अथवा स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के दोनों सेमेस्टर्स में मिलाकर विद्यार्थी चार चार क्रेडिट के दो कोर्स के स्थान पर एक शोध परियोजना ले सकता है। यह शोध परियोजना एक सप्तम एवं एक अष्टम सेमेस्टर के थ्योरी कोर्स के स्थान पर लेने होंगे ना कि किसी एक सेमेस्टर के दो कोर्स के स्थान पर स्नातक चतुर्थ वर्ष में शोध सहित उत्तीर्ण होकर जाने वाले विद्यार्थी को स्नातक (मानद शोध सहित) की उपाधि दी जाएगी।

7.3 स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष (उच्च शिक्षा का पंचम वर्ष) में अनिवार्य रूप से एक शोध परियोजना करनी होगी जो कि नवम एवं दशम सेमेस्टर में चार चार क्रेडिट्स की होगी।

7.4 पी.जी.डी.आर. में चार क्रेडिट की शोध परियोजना का स्वरूप विश्वविद्यालय अपने प्री-पीएच. डी. कोर्स वर्क के अनुसार निर्धारित करेगा। स्नातक (मानद शोध सहित) उपाधि प्राप्तकर्ता बिना परास्नातक पूर्ण किये भी पीएच० डी० प्रवेश में प्रवेश प्रक्रिया जैसे प्रवेश परीक्षा एवं साक्षात्कार इत्यादि के लिए अर्ह होगा।

7.5 शोध परियोजना एक शिक्षक सुपरवाइजर के निर्देशन में की जायेगी. एक अन्य को-सुपरवाइजर किसी उद्योग/कम्पनी तकनीकी संस्थान/शोध संस्थान से लिया जा सकता है।

7.6 यह शोध परियोजना इन्टरडिस्प्लिनरी/मल्टी डिस्प्लिनरी भी हो सकती है। यह शोध परियोजना इन्डसट्रियल ट्रेनिंग/इन्टर्नशिप/सर्वे वर्क इत्यादि के रूप में भी हो सकती है। स्नातक स्तर पर विद्यार्थी द्वितीय वर्ष के पश्चात की गई शोध परियोजना की रिपोर्ट विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में जमा करेगा।

7.7 स्नातकोत्तर स्तर पर विद्यार्थी वर्ष के अंत में दोनों सेमेस्टर में की गई शोध परियोजना का संयुक्त प्रबंध (Report/Dissertaion) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय जमा करेगा।

7.9 उपरोक्त सभी शोध परियोजनाओं का मूल्यांकन सुपरवाइजर एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामित वाह्य परीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से 100 अंकों में से किया जायेगा।

7.11 स्नातक, स्नातक (मानद शोध सहित) स्नातकोत्तर एवं पी.जी.डी.आर. के विद्यार्थी की ग्रेड शीट पर शोध परियोजना के प्राप्तांको पर आधारित ग्रेड अंकित होंगे तथा उन्हें सी.जी.पी.ए. की गणना में भी सम्मिलित किया जायेगा।

8. क्रेडिट एवं क्रेडिट निर्धारण

8.1 थ्योरी के एक क्रेडिट के पेपर में एक घंटा/प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 15 घंटे का शिक्षण कराना होगा।

8.2 प्रैक्टिकल / इन्टर्नशिप / फील्ड वर्क आदि के एक क्रेडिट के पेपर में दो घंटे / प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 30 घंटे का प्रैक्टिकल / इन्टर्नशिप / फील्ड वर्क आदि कराना होगा। शिक्षक के कार्यभार की गणना में थ्योरी के एक घंटे का कार्यभार प्रैक्टिकल / इन्टर्नशिप / फील्ड वर्क आदि के दो घंटे के कार्यभार के बराबर होगा।

8.3 क्रेडिट सम्बन्धित समस्त कार्य राज्य स्तरीय एकेडमिक बैंक आफ क्रेडिट (ABACUS) के माध्यम से किये जायेंगे, जिसके दिशा-निर्देश अलग से समय-समय पर जारी किए जाते हैं। विद्यार्थी केन्द्र सरकार द्वारा बनाये गये एकेडमिक बैंक आफ क्रेडिट का लाभ भी क्रेडिट हस्तान्तरण के लिए ले सकता है।

8.4 विद्यार्थी न्यूनतम 40 क्रेडिट अर्जित करने पर एक वर्षीय सर्टीफिकेट, न्यूनतम 80 क्रेडिट अर्जित करने पर द्विवर्षीय डिप्लोमा तथा न्यूनतम 120 क्रेडिट अर्जित करने

पर त्रिवर्षीय स्नातक डिग्री ले सकता है। इससे आगे विद्यार्थी न्यूनतम 160 क्रेडिट अर्जित करने पर चतुर्वर्षीय स्नातक (मानद), अथवा स्नातक मानद शोध सहित) डिग्री न्यूनतम 200 क्रेडिट अर्जित करने पर स्नातकोत्तर डिग्री तथा न्यूनतम 215 क्रेडिट अर्जित करने पर पी.जी.डी.आर. ले सकता है।

त्रिवर्षीय स्नातक डिग्री के पश्चात् विश्वविद्यालय / महाविद्यालय में संसाधन की उपलब्धता होने पर विद्यार्थी एक वर्ष की 40 क्रेडिट की इटर्नशिप / एपरेन्टिसशिप NATS या समकक्ष / समतुल्य से कर सकता है। यह इटर्नशिप विद्यार्थी 6 महीने की दो अथवा 4 महीने की तीन अथवा 3 महीने की चार भागों में भी कर सकता है। यह इटर्नशिप विश्वविद्यालय / महाविद्यालय के मार्गदर्शन में सहयोगी संस्था / इन्डस्ट्री से की जायेगी 40 क्रेडिट (1200 घण्टों) की इस इटर्नशिप के पश्चात् विद्यार्थी को स्नातक (इटर्नशिप / एपरेन्टिसशिप सहित) की उपाधि दी जायेगी।

8.5. एक बार क्रेडिट का उपयोग करने के पश्चात् विद्यार्थी उन पेपर के क्रेडिट का उपयोग पुनः नहीं कर सकेगा। उदाहरण के लिये यदि कोई छात्र एक वर्ष के बाद 40 क्रेडिट का प्रयोग कर सर्टीफिकेट प्राप्त करता है तो उसके क्रेडिट खर्च माने जायेंगे। यदि यह कुछ वर्षों बाद डिप्लोमा लेना चाहता है, तो यह या तो अपना मूल सर्टीफिकेट विश्वविद्यालय में जना (surrender) कर 40 क्रेडिट को खाते में री-क्रेडिट (re-credit) करेगा अथवा नए 40 क्रेडिट पुनः जमा करेगा तथा जिसके आधार पर द्वितीय वर्ष (वास्तविक तृतीय वर्ष) में 80 (40+40) क्रेडिट अर्जित कर डिप्लोमा ले सकता है। इसी तरह की व्यवस्था आगामी वर्षों के लिये भी होगी। यदि विद्यार्थी लगातार अध्ययन करता है तथा सर्टीफिकेट / डिप्लोमा नहीं लेता है तो यह 120 क्रेडिट के आधार पर डिग्री ले सकता है।

8.6 यदि कोई योग्य छात्र (Fast learner) कम समय में डिग्री के लिये आवश्यक क्रेडिट (ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन) प्राप्त कर लेगा तो न्यूनतम क्रेडिट प्राप्त करने पर अंतराल की सुविधा होगी, परन्तु डिग्री तीन वर्ष बाद ही मिलेगी। अंतराल के दौरान यह किसी भी अन्य कार्य को करने के लिये स्वतंत्र होगा।

8.7 द्वितीय वर्ष में संकाय अथवा विषय परिवर्तन की स्थिति में अर्जित क्रेडिट सर्टीफिकेट की श्रेणी में आयेंगे, न कि डिप्लोमा क्योंकि डिप्लोमा प्राप्त करने के लिये उसे उसी विषय के आवश्यक क्रेडिट प्राप्त करने होंगे।

8.8 तीन वर्ष में विद्यार्थी जिस संकाय के दो मुख्य विषयों में न्यूनतम् 60 प्रतिशत क्रेडिट प्राप्त करेगा, उसी संकाय में उसे डिग्री दी जायेगी और विश्वविद्यालय नियमानुसार स्नातकोत्तर में प्रवेश की सुविधा होगी । जैसे यदि विद्यार्थी तीन वर्ष में किसी एक संकाय में दो मुख्य विषयों के कुल क्रेडिट का न्यूनतम् 60 प्रतिशत क्रेडिट (88 का 60 प्रतिशत अर्थात् 53 क्रेडिट) प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उसे बैचलर आफ लिबरल ऐजुकेशन की डिग्री दी जायेगी तथा वह उन विषयों में स्नातकोत्तर कर सकेगा जिनमें स्नातक स्तर पर किसी विषय के प्रीरिक्विजिट (prerequisite) की आवश्यकता नहीं होगी ।

8.9 यदि कोई योग्य छात्र सर्टीफिकेट / डिप्लोमा ले कर अपने क्रेडिट री-क्रेडिट (re-credit) कर लेता है और वह आगामी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो वह क्रेडिट किये गये क्रेडिट का उपयोग कर पुनः सर्टीफिकेट/डिप्लोमा प्राप्त कर सकता है ।

8.10 विद्यार्थी निकास के समय आवश्यक कुल क्रेडिट के अधिकतम 20 प्रतिशत तक क्रेडिट आनलाइन शिक्षा तथा कौशल विकास कोर्स द्वारा कर सकता है ।

9. उपस्थिति व क्रेडिट निर्धारण

9.1 क्रेडिट वेलीडेशन के लिये परीक्षा देना आवश्यक होगा । परीक्षा के बिना क्रेडिट अपूर्ण होंगे

9.2 परीक्षा देने के लिये पूर्व नियमानुसार 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी ।

9.3 यदि कोई छात्र कक्षा में उपस्थिति के आधार पर परीक्षा के लिये अर्हता प्राप्त करता है, परन्तु किसी कारण से परीक्षा नहीं दे पाता, तो वह आगामी समय में अर्हित परीक्षा दे सकता है । उसे पुनः कक्षाएँ लेने की आवश्यकता नहीं होगी ।

Uttar pradesh NEP-2020 UG-Pgcourse structure aligned with FYUGP of UGC

Table1: (To be in effect from 2024-25 Session)

(Cumulative Minimum Credits) Required for Award of Certificate/ Diploma/ Degree	Year	Sem.	Subject I	Subject II	Subject III	Vocational Skill Enhancement course (SEC) with Summer Internship	Co-Curricular Ability/Enhancement Courses (AEC)	Research Project/Dissertation/ Internship/ Field or survey work	(Minimum Credits) for the year & NCIF Credit Level			
			Major (core)	Major (core)	Minor Multidisciplinary	Minor	Minor	Major				
			4/5/6 Credits	4/5/6 Credits	4/5/6 Credits	3 Credits	2 Credits	3/4 Credits				
			Own Faculty	Own Faculty	Any Faculty	Vocational Skill Enhancement courses (SEC) with Summer Internship	Co-Curricular Ability/Enhancement Courses (AEC)	Inter/Intra Faculty related to main Subject				
(00+40=40) Certificate in Faculty	1	I	Th 1 (6) or	Th 1 (6) or	I (4/5/6)	1(3)	1(2)		40 Level 4.5			
			Th 1 (4) +	Th 1 (4) +								
		II	Pract. 1(2)	Pract. 1(2)		1(3)	1(2)					
			Th 1 (6) or	Th 1 (6) or								
(40+40=80) Diploma in Faculty	2	III	Th 1 (6) or	Th 1 (6) or	I (4/5/6)	1(3)	1(2) or Extra Curr*	40 Level 5				
			Th 1 (4) +	Th 1 (4) +								
			Pract. 1(2)	Pract. 1(2)								
		IV	Th 1 (6) or	Th 1 (6) or			1(2) Indian/Local Language		1(3)*			
			Th 1 (4) +	Th 1 (4) +								
			Pract. 1(2)	Pract. 1(2)								
		(80+40=120) 3-years UG Degree	3	V		Th 2 (5) or	Th 2 (5) or					40 Level 5.5
						Th 2 (4) +	Th 2 (4) +					
Pract. 1(2)	Pract. 1(2)											
VI	Th 2 (5) or			Th 2 (5) or								
	Th 2 (4) +			Th 2 (4) +								
Fourth Year												
Apprenticeship / Internship embedded UG degree programme	4	12 Months Apprenticeship/ Internship through NATS or from an equivalent organization/ industry/institute				1(4) 1200 hours			40 Level 6			
OR												
1120-40 (60) 4-year UG Degree (Honours)	4	VII	Th 5 (4) or						40 Level 6			
			Th 4 (4) +									
			Pract. 1(4)									
		VIII	Th 5 (4) or									
Th 4 (4) +												
OR												
1120-40 (60) 4-year UG Degree (Honours with Research)	4	VII	Th 4 (4) or		Students who secure 75% marks in the first 6 semesters			1 (4)	40 Level 6			
			Th 3 (4) +									
			Pract. 1(4)									
		VIII	Th 4 (4) or								1 (4)	
Th 3 (4) +												
Pract. 1(4)												
200 Master in Faculty	5	IX	Th 4 (4) or				1 (4)	40 Level 6.5				
			Th 3 (4) +									
			Pract. 1(4)									
		X	Th 4 (4) or							1 (4)		
Th 3 (4) +												
OR												
-216 POOR in Subject	6	XI	Th 4 (2)	1 (4) Research Methodolog				1 (4)	Level 16 Level 6.5			
Ph.D. in Subject	6,7,8	XII-XVI						Ph.D. Thesis	Level 8			

NOTE- Apprenticeship / Internship embedded degree programme degree holder have to do 2 year PG programme. It is purely optional for Universities, to run and give this degree.

3 years Honors/Single subject programme structure

Table2: (To be in effect from 2024-25 Session)

(Commulative Minimum Credits) Required for Award of Certificate/ Diploma/ Degree			Subject I	Subject II	Subject III	Vocational Skill Enhancement course (SEC) with Summer Internship	Co-Curricular Ability/Enhancement Courses (AEC)	Research Project/Dissertation/ Internship/ Field or survey work	(Minimum Credits) For the year				
			Major (core)	Major (core)	Minor Multidisciplinary	Minor	Minor	Major					
			4/5/6 Credits	4/5/6 Credits	4/5/6 Credits	3 Credits	2 Credits	3/4 Credits					
	Year	Sem.	Own Faculty	Own Faculty	Any Faculty	Vocational Skill Enhancement courses (SEC) with Summer Internship	Co-Curricular Ability/Enhancement Courses (AEC)	Inter/Intra Faculty related to main Subject					
(40) Certificate in Faculty	1	I	Th-1 (6) or		I (4/5/6)	1(3)	1(2)		40				
			Th-1 (4) +										
		II	Pract-1(2)			1(3)	1(2)						
			Th-1 (6) or										
(40+40=80) Diploma in Faculty	2	III	Th-1 (6) or	I (4/5/6)	1(3)	1(2) or Extra Curr*		40					
			Th-1 (4) +										
		IV	Pract-1(2)			1(2) Indian/Local Language			1(3)* Internship				
			Th-1 (6) or										
(80+40=120) 3-years single Subject Plain UG Degree	3	V	Th-1 (4) +					1(4)	40				
			Pract-1(2)										
		VI	Th-2 (5) or										1(4)
			Th-2 (4) +										
OR													
80+40=120 3-years Single Subject Honours UG Degree		V	Th-4 (5) or					1 (5)	50				
			Th-4 (4) +										
		VI	Pract-1(4)									1 (5)	
			Th-4 (5) or										

Important Notes :

- Single Subject 3 years UG programme examples: BBA, BCA, BHM, BSc (Chemistry), B.Sc. Chemistry (Honours), Etc.
 - After both the above programmes (3 years plain or Honours degree), one has to pursue 4th/5th year of UG/PG programmes as given in the Table 1, in the same manner as the one who completes, 3 years UG degree of Table 1.
- *See 7.1

2

57

महत्वपूर्ण/संभवित

संख्या-2418/सत्तर-3-2023-09(01)/2023(L4)

प्रेषक,

गिरिजेश कुमार त्यागी,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

1. निदेशक, उच्च शिक्षा, उ०प्र०, प्रयागराज।
2. कुलसचिव, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उ०प्र०।

उच्च शिक्षा अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक 13 सितम्बर, 2023

विषय : राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार द्वारा चिह्नित 18 कार्यान्वयन बिन्दुओं में से बिन्दु संख्या L4-Adoption of Guidelines on Curricular & Credit Framework For Four Year Undergraduate Programme (FYUP) के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर सचिव, उ०प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ के पत्र संख्या-972/रा०उ०शि०प०/42/23, दिनांक 22.08.2023 एवं तत्संलग्नक कुलपति, डॉ० भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा की अध्यक्षता में गठित समिति की आख्या/मॉडल ड्राफ्ट संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया संदर्भित आख्या/मॉडल ड्राफ्ट पर अपना सुस्पष्ट सुझाव/अभिमत/मन्तव्य शासन को प्रत्येक दशा में 10 दिन के भीतर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2- यह भी अवगत कराना है कि यदि किसी विश्वविद्यालय द्वारा सन्दर्भित आख्या/मॉडल ड्राफ्ट पर समयान्तर्गत कोई सुझाव/अभिमत/मन्तव्य शासन को उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो ड्राफ्ट पर उनकी डीमड सहमति (Deemed Concurs) मानी जायेगी। प्रकरण अत्यन्त महत्वपूर्ण है; अतः व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है।

संलग्नक यथोक्त।

भवदीय,



(गिरिजेश कुमार त्यागी)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- कुलपति, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
- 2- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
- 3- निजी सचिव, विशेष सचिव (श्री त्यागी), उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
- 4- समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 5- अपर सचिव, उ०प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ।
- 6- प्र० दिनेश चन्द्र शर्मा, कु० मायावती राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बादलपुर, गौतमबुद्धनगर।

आज्ञा से,

(अरविन्द सिंह)
अनु सचिव।

Coordinator
NEP-2020
RPS GO
कुलसचिव

E-mail: upshec@gmail.com,
upsheclko@yahoo.com



Phone : 0522-2287025
Website : www.upshec.com

उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद,
619, इन्दिरा भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ - 226001

पत्रांक 972/रा0उ0शि0प0/42/23
दिनांक 22 अगस्त, 2023

सेवा में,
विशेष सचिव
उच्च शिक्षा अनुभाग-3
उ0प्र0 शासन।

विषय:- राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 एवं 18 एक्सनेबिल बिन्दु संख्या- 3, L-4
की रिपोर्ट के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासन के कार्यालय
ज्ञाप संख्या- 681/सत्तर-3-2023-09(01)/2023 (L-4) दिनांक 04 मार्च,
2023 द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट (हार्ड कापी) आपके समक्ष सुलभ सन्दर्भ हेतु
प्रेषित की जा रही है।

कृपया प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा० दिनेश कुमार)
अपर सचिव

पत्रांक- — /रा0उ0शि0प0/ — / तददिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन एवं सदस्य सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद को सदस्य सचिव महोदय के अवगतार्थ।

(डा० दिनेश कुमार)
अपर सचिव।

जी. शशि कुमार
24.8.2023

उत्तर प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग-3

दिनांक: 21 अप्रैल, 2023

बैठक की कार्यवाही

उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 681/सत्तर-3-2023-09(01)/2023 (L-4), दिनांक 04 मार्च 2023 के द्वारा गठित समिति की दो बैठकें दिनांक 29-03-2023 व 21-04-2023 को आनलाइन सम्पन्न हुई। जिनमें निम्न लिखित उपस्थित रहे।

1. प्रो० आशु रानी, कुलपति, DBRA वि०वि० आगरा -अध्यक्षा
2. प्रो० शिवराम खारा, कुलपति, शारदा वि०वि० गौतमबुद्ध नगर-सदस्य
3. प्रो० यशोधरा शर्मा, प्राचार्या, राजकीय महिला महाविद्यालय, आंवलखेड़ा, आगरा-सदस्य
4. प्रो० हरे कृष्ण, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ-सदस्य
5. प्रो० विजय कुमार सिंह, प्राचार्य, एन०डी० कालेज, शिकोहाबाद -सदस्य
6. प्रो० नीतू सिंह, राजकीय महाविद्यालय, नैनी प्रयागराज -सदस्य
7. प्रो० रश्मि कुमारी, कु० मायावती राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय बादलपुर, गौतमबुद्ध नगर -सदस्य
8. श्री राजेश कुमार चतुर्वेदी, अपर सचिव, उ०प्र०, राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ -सदस्य सचिव/समन्वयक
9. प्रो० दिनेश चन्द शर्मा, कु० मायावती राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय बादलपुर, गौतमबुद्ध नगर-विशेष आमन्त्रित

प्रथम बैठक दिनांक 29-03-2023 में अध्यक्ष महोदया ने NEP- 2020 UGC FYUP संरचना तथा उत्तर प्रदेश की वर्तमान संरचना की मैपिंग हेतु सभी सदस्यों के विचार आमन्त्रित किये। सदस्यों का मत था कि यू०जी०सी० के द्वारा जारी किये गये Curriculum & Credit Framework for Four Year Undergraduate Programme (FYUP) में 20 Credit प्रति सेमेस्टर का प्रावधान है, जबकि उत्तर प्रदेश में 2021 से लागू NEP-2020 की संरचना में Credits अधिक है। शिक्षकों एवं छात्रों की ओर से भी पिछले दो वर्षों में यह महसूस किया जा रहा है कि छात्रों पर Credits का भार ज्यादा है और उसे कुछ कम किया जा सकता है। अतः अध्यक्ष महोदया ने सदस्यों से वर्तमान UG-PG संरचना में कतिपय संशोधन करने को कहा जिससे कि Credits कम करके UGC के FYUP के अनुसार किया जा सके। सदस्य सचिव ने सभी का धन्यवाद ज्ञापन किया जिसके साथ बैठक समाप्त हुई।

समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 21-04-2023 को आनलाइन हुई। इसमें स्नातक/ परास्नातक कार्यक्रमों/ पाठ्यक्रमों की एक संरचना प्रस्तुत की गई तथा उस पर विस्तार से चर्चा हुई। तत्पश्चात समिति ने नई संरचना को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया। स्नातक/ परास्नातक कार्यक्रमों/ पाठ्यक्रमों की संरचना विस्तृत रूप में संलग्न है।

सदस्य सचिव के धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

संलग्नक: स्नातक/ परास्नातक कार्यक्रमों/ पाठ्यक्रमों की संरचना



स्नातक / परास्नातक कार्यक्रमों / पाठ्यक्रमों की संरचना

1. संदर्भ (Introduction)-

यूजीसी के द्वारा जारी किये गये Curriculum & Credit Framework for Four Year Undergraduate Programme (FYUP) में 20 Credit प्रति सेमेस्टर का प्रावधान है जबकि उत्तर प्रदेश में शासनादेश संख्या 1567/सत्तर-3-2021-16 (26)/2011 टी.सी. दिनांक 13 जुलाई, 2021 के द्वारा लागू NEP-2020 की संरचना में Credits अधिक हैं। शिक्षकों एवं छात्रों की ओर से भी पिछले दो वर्षों में यह महसूस किया जा रहा है कि छात्रों पर Credits का भार ज्यादा है और उसे कुछ कम किया जा सकता है। अतः वर्तमान UG-PG संरचना में कतिपय संशोधन तालिकाएं अंतिम पृष्ठ पर दी गई हैं तथा उसका विस्तृत विवरण निम्नवत है।

2. क्षेत्र (Scope)-

2.1(अ) यह व्यवस्था कला, विज्ञान, वाणिज्य आदि संकायों में त्रिवर्षीय बहुविषयक स्नातक तथा चतुर्वर्षीय बहुविषयक स्नातक (मानद व मानद शोध सहित) यथा बी०ए०, बी०एससी० एवं बी०कॉम० तथा एकल विषय परास्नातक यथा एम०ए०, एम०एससी०, एम०कॉम० कार्यक्रमों में लागू होगी।

2.1 (ब) त्रिवर्षीय एकल विषय स्नातक, स्नातक (मानद), यथा बी०एससी० (माइक्रोबाओलोजी) इत्यादि तथा एकल विषयक/संकाय स्नातक यथा बी०सी०ए०, बी०बी०ए० आदि कार्यक्रमों में भी लागू होगी।

2.2 त्रिवर्षीय स्नातक स्तर पर विभिन्न विषयों के न्यूनतम समान पाठ्यक्रम (Min. Common Syllabus) पूर्व में ही उपलब्ध करा दिये गये हैं। वह आगे भी लागू होंगे।

2.3 (अ) बहुविषयक त्रिवर्षीय स्नातक, चतुर्वर्षीय स्नातक (मानद) एवं स्नातक (मानद शोध सहित), परास्नातक एवं प्री-पीएच.डी. कोर्स वर्क इत्यादि में विषयों तथा क्रेडिट्स की विस्तृत जानकारी तालिका 1 में दी गई है।

(ब) त्रिवर्षीय एकल विषय स्नातक, स्नातक (मानद), यथा बी०एससी० (माइक्रोबाओलोजी) इत्यादि तथा एकल विषयक/संकाय स्नातक यथा बी०सी०ए०, बी०बी०ए० आदि के लिए व्यवस्था तालिका 2 में दी गई है।

2.4 यह सभी व्यवस्थायें सत्र 2024-25 से लागू होंगी।

2.5 अन्य संकायों अथवा कार्यक्रमों यथा चिकित्सा, तकनीकी, शिक्षक शिक्षा, कृषि आदि में नियामक संस्थाओं के नियम लागू होते हैं, उन के लिए व्यवस्था का निर्धारण नियामक संस्थाओं यथा एम०सी०आई०, ए०आई०सी०टी०ई०, एन०सी०टी०ई० आदि के एन०ई०पी०-2020 के अनुरूपन पाठ्यक्रम व संरचना आने पर किया जायेगा।

3. परिभाषाएं-

3.1 पाठ्यक्रम/कार्यक्रम (Programme)-

एक वर्ष का सर्टिफिकेट, दो वर्ष का डिप्लोमा, तीन वर्ष की स्नातक, स्नातक (मानद) डिग्री, चार वर्ष की स्नातक (मानद) एवं स्नातक (मानद शोध सहित) डिग्री, पाँच वर्ष की स्नातकोत्तर डिग्री तथा शोध उपाधि यथा-बी०ए०, बी०एससी०, बी०कॉम, बी०बी०ए०, बी०एल०ई०, एम०ए०, एम०एससी०, एम०कॉम०, पीएच०डी० इत्यादि।

3.2 संकाय (Faculty)-

3.2.1 संकाय विषयों का समूह है यथा कला संकाय, विज्ञान संकाय, वाणिज्य संकाय इत्यादि।

3.2.2 छात्रों को बहुविषयकता उपलब्ध कराने के लिये संकायों में विषयों के वर्गीकरण एवं विषय कोडिंग की व्यवस्था शासनादेश संख्या 1267/सत्तर-3-2021-16 (26)/2011 दिनांक 15-06-2021 के अनुसार होगी।

3.2.3 उक्त शासनादेश में निर्धारित कतिपयसंकायों को और अधिक विभाजित किया जाएगा जैसे कि विज्ञान संकाय को गणितीय विज्ञान, जैविक विज्ञान, भौतिकीय विज्ञान संकाय तथाभाषा संकाय को भारतीय व विदेशी भाषा संकायों में इत्यादि।

3.2.4 कला एवं विज्ञान संकायों में विभाजन को बहुविषयकता के लिए अलग संकाय माना जायेगा किन्तु उन्हें डिग्री क्रमशः कला संकाय (B.A.) एवं विज्ञान संकाय (B.Sc.) की ही मिलेगी। इसी प्रकार ग्रामीण विज्ञान जो कि कला संकाय से विभाजित हुआ है, में भी कला संकाय (B.A.) की डिग्री मिलेगी।

3.2.5 संकायों में विषयों के वर्गीकरण की यह व्यवस्था मात्र विषय कोडिंग एवं छात्रों को बहुविषयकता उपलब्ध कराने हेतु है। विभिन्न विश्वविद्यालय में जो संकाय एवं प्रशासनिक व्यवस्था चल रही है वह यथावत् रहेगी।

3.3 विषय (Subject)-यथा

3.3.1 संस्कृत, हिन्दी, जन्तु विज्ञान, इतिहास आदि।

3.3.2 एक विषय एक ही संकाय में सूचीबद्ध होगा।

3.4 कोर्स/पेपर/प्रश्नपत्र (Course/Paper)-

3.4.1 एक विषय के विभिन्न थ्योरी/प्रेक्टिकल के पेपर को कोर्स/पेपर/प्रश्नपत्र कहा जायेगा।

3.4.2 थ्योरी, प्रैक्टिकल और शोध परियोजना के पेपर्स/प्रश्नपत्रों का कोड अलग-अलग होगा।

4. मुख्य (मेजर) विषय तथा माइनरविषयके इलेक्टिव पेपर

4.1 (अ) विद्यार्थी को प्रवेश के समय एक संकाय (कला, विज्ञान, वाणिज्य आदि) का चुनाव करना होगा और उसे उस संकाय के दो मुख्य (मेजर) विषयों का चुनाव करना होगा। यह संकाय विद्यार्थी का अपना संकाय (Own Faculty) कहलायेगा। जिसका अध्ययन वह तीन वर्ष (प्रथम से छठे सेमेस्टर) तक कर सकता है।

(ब) चतुर्वर्षीय स्नातक (मानद) एवं स्नातक (मानद शोध सहित) के लिए चतुर्थ वर्ष में विद्यार्थी उपरोक्त दो मेजर विषयों में से किसी एक विषय का चयन करेगा तथा पंचम व षष्ठम् वर्ष में भी उसी विषय को पढ़ेगा।

(स) तीन वर्षीय स्नातक के बाद विद्यार्थी किसी नये विषय में परास्नातक में प्रवेश ले सकता है, (जिसमें Pre-requisite के हिसाब से वह अर्ह है), परन्तु एक वर्ष की परास्नातक की पढ़ाई के बाद उसे कोई डिग्री अथवा डिप्लोमा नहीं मिलेगा। दो वर्ष पूरे उत्तीर्ण करने पर ही उसे उस विषय में परास्नातक की डिग्री मिलेगी।

(द) त्रिवर्षीय स्नातक के अध्ययन के बाद चतुर्वर्षीय डिग्री के लिए भी, छात्र को उस विषय में परास्नातक में नया प्रवेश लेना होगा जो कि विश्वविद्यालय में प्रचलित प्रवेश प्रक्रिया के अनुरूप परास्नातक की उपलब्ध सीटों पर किया जायेगा।

4.2 तीसरे गौण (माइनर) विषय का चुनाव विद्यार्थी अपने संकाय अथवा बहुविषयकता के लिए किसी भी अन्य संकाय से विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में उपलब्धता के आधार पर कर सकता है।

4.3 विद्यार्थी द्वितीय/तृतीय वर्ष में मुख्य विषय बदल सकता है अथवा उनके क्रम में परिवर्तन कर सकता है।

4.4 छात्र को विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में विषयों की उपलब्धता के आधार पर नियमानुसार विषय परिवर्तन की सुविधा होगी, परन्तु वह एक वर्ष के बाद ही विषय परिवर्तित कर सकता है, एक सेमेस्टर के बाद नहीं।

4.5 तीसरे गौण (माइनर) विषय का कोर्स किसी भी विषय कापेपर (4/5/6 क्रेडिट) होगा, न कि पूर्ण विषय। इस कोर्स के चुनाव में Pre-requisite का ध्यान रखा जाना चाहिये। विश्वविद्यालय अपने स्तर पर यह तय कर सकते हैं कि कौन सा कोर्स माइनर के रूप में दिया जा सकता है।

4.6 सभी विषय उपलब्ध संसाधनों के आधार पर अन्य संकाय/विषय के छात्रों के लिये माइनर इलैक्टिव पेपर (4/6 क्रेडिट का) तैयार कर सकते हैं। ऐसे माइनर इलैक्टिव कोर्स/पेपर का पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय की बोर्ड आफ स्टडीज, विद्वत परिषद इत्यादि में नियमानुसार अनुमोदित कराया जायेगा। इस प्रकार के इलैक्टिव पेपर की कक्षाएँ विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में अलग से होगी एवं परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार आयोजित होगी।

5. कौशल विकास कोर्स (Vocational /Skill development Courses)

5.1 स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम दो वर्षों (प्रथम तीन सेमेस्टरर्स) में प्रत्येक सेमेस्टर में 3 क्रेडिट का एक कौशल विकास कोर्स (3x3=9 क्रेडिट के कुल तीन पाठ्यक्रम)करना अनिवार्य होगा।

5.2 कौशल विकास कोर्स उत्तर प्रदेश शासनादेश संख्या 1969/सत्तर-3-2021 दिनांक 18 अगस्त 2021 में दिये गयेप्रावधानों के अनुसार चलाए जाएं।

5.3 यदि विद्यार्थी यू0जी0सी0 अथवा केन्द्र अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्था से कोई ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन कौशल विकास कोर्स तीन या उससे अधिक क्रेडिट का करता है, तो उसे उतने ही क्रेडिट प्रदान कर दिए जायेंगे। स्नातक के लिए उसे कुल 9 क्रेडिट अर्जित करने हैं जो वह कम अथवा नियमित अधिकतम समय में पूरे कर सकता है।

6. सह-पाठ्यक्रम/कोर्स(Co-Curricular Courses)

6.1 स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम दो वर्षों (चार सेमेस्टरर्स)के प्रत्येक सेमेस्टर में दो क्रेडिट का एक सह-पाठ्यक्रम/कोर्स करना अनिवार्य होगा अर्थात कुल 8 क्रेडिट (4 कोर्स से) अर्जित करने होंगे।

6.2 इन सह-पाठ्यक्रम कोर्सों की परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रश्नपत्र द्वारा करायी जायेगी। इनमें उत्तीर्ण प्रतिशत वही होगा जो मुख्य व माइनर विषय के पेपरर्स में होगा तथा इनमें प्राप्त ग्रेड्स को सी0जी0पी0ए0 की गणना में सम्मिलित किया जायेगा।

6.3 सभी विश्वविद्यालय तृतीय सेमेस्टर में एक भारतीय अथवा स्थानीय भाषा का सह-पाठ्यक्रमकोर्स अनिवार्य रूप से चलायेंगे। इस हेतु विश्वविद्यालय विद्यार्थियों को अधिकाधिक भाषाओं का विकल्प प्रदान करेंगे। अतः चार अनिवार्य सह-पाठ्यक्रम कोर्सस में से एक भारतीय/स्थानीय भाषा का कोर्स करना अनिवार्य होगा।

6.4 सभी विश्वविद्यालय extra curricular activities एवं hobby based कोर्सेस को बढ़ावा देने हेतु कतिपय सह-पाठ्यक्रम कोर्स extra curricular activities पर आधारित बनाएंगे। इन कोर्सेस का सिलेबस, पठन, पाठन व मूल्यांकन प्रक्रिया को BOS एवं विद्वत परिषद में अनुमोदन कराया जाएगा। कोई भी विद्यार्थी चार अनिवार्य सह-पाठ्यक्रम पेपरर्स / कोर्सेस में से अधिकतम एक कोर्स extra curricular activity का ले सकता है। किन्तु यह एक विकल्प है न कि अनिवार्यता।

6.5 सभी विश्वविद्यालयों से अपेक्षा की जाती है कि वे अधिक से अधिक सह-पाठ्यक्रम कोर्सेस offer करें जिनमें से विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार इन पेपरर्स / कोर्सेस का चयन कर सकें।

7. शोध परियोजना (Research Project)

- 7.1 स्नातक स्तर पर द्वितीय वर्ष के बाद ग्रीष्मावकाश में विद्यार्थी अपने चुने गए दो मुख्य विषयों में से किसी एक विषय से संबंधित तीन क्रेडिट की एक शोध परियोजना करेगा। ग्रीष्मावकाश में पूर्ण न होने की स्थिति में यह शोध परियोजना तृतीय वर्ष के पंचम सेमेस्टर में भी की जा सकती है किन्तु द्वितीय वर्ष उक्त शोध परियोजना को उत्तीर्ण करने पर ही पूर्ण माना जाएगा।
- 7.2 स्नातक चतुर्थ वर्ष अथवा स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के दोनों सेमेस्टर्स में मिलाकर विद्यार्थी चार - चार क्रेडिट के दो कोर्स के स्थान पर एक शोध परियोजना ले सकता है। यह शोध परियोजना एक सप्तम एवं एक अष्टम सेमेस्टर के थ्योरी कोर्स के स्थान पर लेने होंगे ना कि किसी एक सेमेस्टर के दो कोर्स के स्थान पर। स्नातक चतुर्थ वर्ष में शोध सहित उत्तीर्ण होकर जाने वाले विद्यार्थी को स्नातक (मानद शोध सहित) की उपाधि दी जाएगी।
- 7.3 स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष (उच्च शिक्षा का पंचम वर्ष) में अनिवार्य रूप से एक शोध परियोजना करनी होगी जो कि नवम एवं दशम सेमेस्टर में चार - चार क्रेडिट सकी होगी।
- 7.4 पी.जी.डी.आर. में चार क्रेडिट की शोध परियोजना का स्वरूप विश्वविद्यालय अपने प्री-पीएच.डी. कोर्स वर्क के अनुसार निर्धारित करेगा। स्नातक (मानद शोध सहित) उपाधि प्राप्तकर्ता बिना परास्नातक पूर्ण किये भी पीएच.डी. प्रवेश में प्रवेश प्रक्रिया जैसे प्रवेश परीक्षा एवं साक्षात्कार इत्यादि के लिए अर्ह होगा।
- 7.5 शोध परियोजना एक शिक्षक सुपरवाइजर के निर्देशन में की जायेगी, एक अन्य को-सुपरवाइजर किसी उद्योग/कम्पनी/तकनीकी संस्थान/शोध संस्थान से लिया जा सकता है।
- 7.6 यह शोध परियोजना इन्टरडिस्प्लिनरी/मल्टी डिस्प्लिनरी भी हो सकती है। यह शोध परियोजना इन्डस्ट्रियल ट्रेनिंग/इन्टरनशिप/ सर्वे वर्क इत्यादि के रूप में भी हो सकती है।
- 7.7 स्नातक स्तर पर विद्यार्थी द्वितीय वर्ष के पश्चात की गई शोध परियोजना का रिपोर्ट विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में जमा करेगा।
- 7.8 स्नातकोत्तर स्तर पर विद्यार्थी वर्ष के अंत में दोनों सेमेस्टर्स में की गई शोध परियोजना का संयुक्त प्रबंध (Report/Dissertation) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय जमा करेगा।
- 7.9 पी.जी.डी.आर. स्तर पर विद्यार्थी प्री-पीएच.डी. कोर्स वर्क के पश्चात की गई शोध परियोजना का प्रबंध (Report/Dissertation) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में जमा करेगा।
- 7.10 उपरोक्त सभी शोध परियोजनाओं का मूल्यांकन सुपरवाइजर एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामित वाह्य परीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से 100 अंकों में से किया जायेगा।

- 7.11 स्नातक, स्नातक(मानद शोध सहित), स्नातकोत्तर एवं पी.जी.डी.आर. के विद्यार्थी की ग्रेड शीट पर शोध परियोजना के प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड अंकित होंगे तथा उन्हें सी.जी.पी.ए. की गणना में भी सम्मिलित किया जायेगा।

8. क्रेडिट एवं क्रेडिट निर्धारण

- 8.1 थ्योरी के एक क्रेडिट के पेपर में एक घंटा/प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात् एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 15 घंटे का शिक्षण कराना होगा।
- 8.2 प्रैक्टिकल/इन्टर्नशिप/फील्ड वर्क आदि के एक क्रेडिट के पेपर में दो घंटे/प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात् एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 30 घंटे का प्रैक्टिकल/इन्टर्नशिप/फील्ड वर्क आदि कराना होगा। शिक्षक के कार्यभार की गणना में थ्योरी के एक घंटे का कार्यभार प्रैक्टिकल/इन्टर्नशिप/फील्ड वर्क आदि के दो घंटे के कार्यभारके बराबर होगा।
- 8.3 क्रेडिट सम्बन्धित समस्त कार्य राज्य स्तरीय "ऐकेडमिक बैंक आफ क्रेडिट" (ABACUS) के माध्यम से किये जायेंगे, जिसके दिशा-निर्देश अलग से समय-समय पर जारी किए जाते हैं। विद्यार्थी केन्द्र सरकार द्वारा बनाये गये "ऐकेडमिक बैंक आफ क्रेडिट" का लाभ भी क्रेडिट हस्तान्तरण के लिए ले सकता है।
- 8.4 विद्यार्थी न्यूनतम 40 क्रेडिट अर्जित करने पर एक वर्षीय सर्टीफिकेट, न्यूनतम 80 क्रेडिट अर्जित करने पर द्विवर्षीय डिप्लोमा तथा न्यूनतम 120 क्रेडिट अर्जित करने पर त्रिवर्षीय स्नातक डिग्री ले सकता है। इससे आगे विद्यार्थी न्यूनतम 160 क्रेडिट अर्जित करने पर चतुर्वर्षीय स्नातक(मानद), अथवा स्नातक(मानद शोध सहित) डिग्री, न्यूनतम 200 क्रेडिट अर्जित करने पर स्नातकोत्तर डिग्री तथा न्यूनतम 216 क्रेडिट अर्जित करने पर पी.जी.डी.आर. ले सकता है।

त्रिवर्षीय स्नातक डिग्री के पश्चात् विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय में संसाधन की उपलब्धता होने पर विद्यार्थी एक वर्ष की 40 क्रेडिट की इटर्नशिप/एपरेन्टिसशिपNATS या समकक्ष/ समतुल्य से कर सकता है। यह इटर्नशिप विद्यार्थी 6 महीने की दो अथवा 4 महीने की तीन अथवा 3 महीने की चार भागों में भी कर सकता है। यह इटर्नशिप विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय के मार्गदर्शन में सहयोगी संस्था/इन्डस्ट्री से की जायेगी। 40 क्रेडिट (1200 घण्टों) की इस इटर्नशिप के पश्चात् विद्यार्थी को स्नातक (इटर्नशिप/एपरेन्टिसशिप सहित) की उपाधि दी जायेगी।

- 8.5 एक बार क्रेडिट का उपयोग करने के पश्चात् विद्यार्थी उन पेपर के क्रेडिट का उपयोग पुनः नहीं कर सकेगा। उदाहरण के लिये यदि कोई छात्र एक वर्ष के बाद 40 क्रेडिट का प्रयोग कर सर्टीफिकेट प्राप्त करता है तो उसके क्रेडिट खर्च माने जायेंगे। यदि वह कुछ वर्षों बाद डिप्लोमा लेना चाहता है, तो वह या तो अपना मूल सर्टीफिकेट विश्वविद्यालय में जमा (surrender) कर 40 क्रेडिट को खाते में री-क्रेडिट (re-credit) करेगा अथवा नए 40 क्रेडिट पुनः जमा करेगा तथा जिसके आधार पर द्वितीय वर्ष (वास्तविक तृतीय वर्ष) में 80(40+40)क्रेडिट अर्जित कर डिप्लोमा ले सकता है। इसी तरह की व्यवस्था आगामी वर्षों के लिये भी होगी। यदि विद्यार्थी लगातार अध्ययन करता है तथा सर्टीफिकेट/डिप्लोमा नहीं लेता है तो वह 120 क्रेडिट के आधार पर डिग्री ले सकता है।
- 8.6 यदि कोई योग्य छात्र (Fast learner) कम समय में डिग्री के लिये आवश्यक क्रेडिट (ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन) प्राप्त कर लेगा तो न्यूनतम क्रेडिट प्राप्त करने पर अंतराल

- की सुविधा होगी, परन्तु डिग्री तीन वर्ष बाद ही मिलेगी। अंतराल के दौरान वह किसी भी अन्य कार्य को करने के लिये स्वतंत्र होगा।
- 8.7 द्वितीय वर्ष में संकाय अथवा विषय परिवर्तन की स्थिति में अर्जित क्रेडिट सर्टीफिकेट की श्रेणी में आयेंगे, न कि डिप्लोमा क्योंकि डिप्लोमा प्राप्त करने के लिये उसे उसी विषय के आवश्यक क्रेडिट प्राप्त करने होंगे।
- 8.8 तीन वर्ष में विद्यार्थी जिस संकाय के दो मुख्य विषयों में न्यूनतम 60 प्रतिशत क्रेडिट प्राप्त करेगा, उसी संकाय में उसे डिग्री दी जायेगी और विश्वविद्यालय नियमानुसार स्नातकोत्तर में प्रवेश की सुविधा होगी।
जैसे यदि विद्यार्थी तीन वर्ष में किसी एक संकाय में, दो मुख्य विषयों के कुल क्रेडिट का न्यूनतम 60 प्रतिशत क्रेडिट (88 का 60 प्रतिशत अर्थात् 53 क्रेडिट) प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उसे बैचलर आफ लिबरल ऐजुकेशन की डिग्री दी जायेगी तथा वह उन विषयों में स्नातकोत्तर कर सकेगा जिनमें स्नातक स्तर पर किसी विषय के प्रीरिक्विजिट (prerequisite) की आवश्यकता नहीं होगी।
- 8.9 यदि कोई योग्य छात्र सर्टीफिकेट/डिप्लोमा ले कर अपने क्रेडिट री-क्रेडिट (re-credit) कर लेता है और वह आगामी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो वह री-क्रेडिट किये गये क्रेडिट का उपयोग कर पुनः सर्टीफिकेट/डिप्लोमा प्राप्त कर सकता है।
- 8.10 विद्यार्थी निकास के समय आवश्यक कुल क्रेडिट के अधिकतम 20 प्रतिशत तक क्रेडिट आनलाइन शिक्षा तथा कौशल विकास कोर्स द्वारा कर सकता है।

9. उपस्थिति व क्रेडिट निर्धारण

- 9.1 क्रेडिट वेलीडेशन के लिये परीक्षा देना आवश्यक होगा। परीक्षा के बिना क्रेडिट अपूर्ण होंगे।
- 9.2 परीक्षा देने के लिये पूर्व नियमानुसार 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी।
- 9.3 यदि कोई छात्र कक्षा में उपस्थिति के आधार पर परीक्षा के लिये अर्हता प्राप्त करता है, परन्तु किसी कारण से परीक्षा नहीं दे पाता, तो वह आगामी समय में अर्हित परीक्षा दे सकता है। उसे पुनः कक्षाएँ लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

10. प्रवेश नियमावली एवं प्रक्रिया तथा समय-सारणी (Time table)

- 10.1 विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करें कि सभी शिक्षण संस्थान प्रवेश प्रारम्भ होने से पूर्व अपनी समय-सारणी (Time table) तैयार कर लें, जिससे छात्र प्रवेश के समय अन्य संकाय के उन विषयों का चुनाव कर सकें जिनकी कक्षाएँ अलग समय पर संचालित होती हों तथा उनकी कक्षाओं के समय में ओवरलैपिंग न हो।
- 10.2 सभी शिक्षण संस्थान समय-सारणी (Time table) ऐसे तैयार करें कि छात्रों को अन्य संकाय के विषयों को चुनने के अधिकतम विकल्प उपलब्ध हों।

11. ग्रेडिंग प्रणाली

स्नातक स्तर पर शासनादेश संख्या 1032/सत्तर-3-2022-08(35)/2020 दिनांक 20 अप्रैल 2022 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार ग्रेडिंग प्रणाली को चलाया जाए।

स्नातकोत्तर स्तर पर विश्वविद्यालय अपने स्तर पर इसी प्रकार की ग्रेडिंग प्रणाली विकसित कर सकते हैं।

Uttar Pradesh NEP-2020 UG-PG course structure aligned with FYUGP of UGC

Table 1: (To be in effect from 2024-25 Session)

{Cumulative Minimum Credits} Required for Award of Certificate / Diploma / Degree			Subject I	Subject II	Subject III	Vocational Skill Enhancement Courses (SEC) with Summer Internship	Co-Curricular Ability / Enhancement Courses (AEC)	Research Project / Dissertation / Internship/ Field or survey work	{Minimum Credits} For the year & NCrf Credit Level
			Major (core)	Major (core)	Minor Multidisciplinary	Minor	Minor	Major	
			4/5/6 Credits	4/5/6 Credits	4/5/6 Credits	3 Credits	2 Credits	3/4 Credits	
	Year	Sem.	Own Faculty	Own Faculty	Any Faculty	Vocational Skill Enhancement Courses (SEC) with Summer Internship	Co-Curricular Ability / Enhancement Courses (AEC)	Inter/Intra Faculty related to main Subject	
{Certificate in Faculty}	1	I	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	1 (4/5/6)	1(3)	1(2)		40 Level 4.5
		II	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)		1(3)	1(2)		
{40-49=80} Diploma in Faculty	2	III	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	1 (4/5/6)	1(3)	1(2) or Extra Curr*		40 Level 5
		IV	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)			1(2) (Indian/Local Language)	1(3)*	
{80-40=120} 3-year UG Degree	3	V	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)					40 Level 5.5
		VI	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)					
Fourth Year									
*Apprenticeship / Internship embedded UG degree programme	4		12 Months Apprenticeship/ Internship through NATS or from equevelent organization/ Industry/institute			1 (40) 1200 hours			40 Level 6
OR									
{120-40=160} 4-year UG Degree (Honours)	4	VII	Th-5(4) or Th-4(4)+ Pract-1(4)						40 Level 6
		VIII	Th-5(4) or Th-4(4)+ Pract-1(4)						
OR									
{120-40=160} 4-year UG Degree (Honours with Research)	4	VII	Th-4(4) or Th-3(4)+ Pract-1(4)		Students who secure 75% marks in the first 6 semesters			1 (4)	40 Level 6
		VIII	Th-4(4) or Th-3(4)+ Pract-1(4)					1 (4)	
200 Master in Faculty	5	IX	Th-4(4) or Th-3(4)+ Pract-1(4)					1 (4)	40 Level 6.5
		X	Th-4(4) or Th-3(4)+ Pract-1(4)					1 (4)	
{216} PGDR in Subject	6	XI	Th-4(2)	1 (4)Research Methodology				1 (4)	16 Level 6.5
Ph.D. in Subject	6,7,8	XII-XVI						Ph. D. Thesis	Level 8

Note: Blue Colour: No. of papers Red colour: Credits Purple colour: Th-Theory, Pract-Practical *Apprenticeship / Internship embedded degree programme degree holder have to do 2 year PG programme. It is purely optional for Universities, to run and give this degree.

* See 7.1

3 year Honors/ Single subject programme structure
Table 2: (To be in effect from 2024-25 Session)

{Cumulative Minimum Credits} Required for Award of Certificate/ Diploma/ Degree			Subject I	Subject II	Subject III	Vocational Skill Enhancement Courses (SEC) with Summer Internship	Co-Curricular Ability / Enhancement Courses (AEC)	Research Project / Dissertation / Internship/ Field or survey work	{Minimum Credits} For the year
			Major (core)	Major (core)	Minor Multidisciplinary	Minor	Minor	Major	
			4/5/6 Credits	4/5/6 Credits	4/5/6 Credits	3 Credits	2 Credits	3/4/5 Credits	
	Year	Sem.	Own Faculty	Own Faculty	Any Faculty	Vocational Skill Enhancement Courses (SEC) with Summer Internship	Co-Curricular Ability / Enhancement Courses (AEC)	Inter/Intra Faculty related to main Subject	
{40} Certificate in Faculty	1	I	Th-3(4) or Th-2(4)+ Pract-1(4)		1 (4/5/6)	1(3)	1(2)		40
		II	Th-3(4) or Th-2(4)+ Pract-1(4)			1(3)	1(2)		
{40+40=80} Diploma in Faculty	2	III	Th-3(4) or Th-2(4)+ Pract-1(4)		1 (4/5/6)	1(3)	1(2) or Extra Curr*		40
		IV	Th-3(4) or Th-2(4)+ Pract-1(4)				1(2) (Indian/Local Language)	1(3)* Internship	
{80-40-120} 3-year Single Subject Plain UG Degree	3	V	Th-4(4) or Th-3(4)+ Pract-1(4)					1(4)	40
		VI	Th-4(4) or Th-3(4)+ Pract-1(4)					1(4)	
					or				
{80-50-130} 3-year Single Subject Honours UG Degree		V	Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)					1 (5)	50
		VI	Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)					1 (5)	

Important Notes:

- Single subject 3 years UG programme examples: BBA, BCA, BHM, BSc (Chemistry), BSc, Chemistry (Honours), Etc.
- After both the above programmes (3 years plain or Honours degree), one has to pursue 4th/ 5th years of UG/ PG programmes as given in the Table 1, in the same manner as the one who completes, 3 years UG degree of Table 1.

* See 7.1

[Signature]

[Signature]

Ashu, Pan